प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
झांसी ।

सेवा में,

1— कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
2— निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संस्थान, झांसी।
3— निदेशक, एस0आर0ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, झांसी।
4— प्रधानाचार्य, समस्त नर्सिंग कालेज, झांसी।
5— प्रधानाचार्य,, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी।
6— प्रधानाचार्य, राजकीय पैरामडिकल कालेज, झांसी।
7— प्रधानाचार्य बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी।
8— प्रधानाचार्य, समस्त पालीटैक्निक जनपद झांसी द्वारा— संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा झांसी मण्डल झांसी।
9— प्रधानाचार्य, समस्त आई0टी0आई0जनपद झांसी द्वारा—संयुक्त निदेशक,प्रशिक्षण/शिक्षु, झांसी मण्डल झांसी।
10— प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय जनपद झांसी द्वारा— क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।

पत्रांक C-1692/स0क0/छा0यो0/2023—24 दिनांकः: 31 जुलाई, 2023

विषयः— दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी0—2312 दिनांक 28.07.2023 के माध्यम से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा निर्देश निर्गत किये गये है—

वर्ष 2020—21 से छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये है। आनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में छात्रों के हाई—स्कूल में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई—स्कूल अंकपत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि किसी माता—पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट कराया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा। जिन छात्रों के आधार कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड बनवा लिये जायें तथा आधार कार्ड में गलत डाटा है तो उसे अपडेट करा लिया जाये।

चालू वित्तीय वर्ष 2023—24 में छात्रवृत्ति के पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी, भारत सरकार, नई दिल्ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजीलॉकर को API से लिंक किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र को इशू करने वाले जो विभाग संस्थायें डिजीलॉकर पर रजिस्टर्ड है, के द्वारा निर्गत समस्त सरकारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र यथा विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल समस्त बोर्ड के प्रमाण पत्रों आदि को API के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उसका व्यक्तिगत विवरण ऑटोफच किया जायेगा। किसी भी छात्र का जो व्यक्तिगत विवरण यथा— नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, जेण्डर व फोटो आधार को ऑटोफेच होगा इसलिये इस वर्ष समस्त छात्रों को आधार कार्ड में उसके समस्त व्यक्तिगत विवरण में यदि कोई त्रुटि है या आधार कार्ड पर उसका फोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे अपडेट कराते हुये नये फोटोग्रॉफ के साथ आधार कार्ड को जारी कराया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन आवेदन करने से पूर्व छात्र/छात्राओं को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करते हुये सम्बन्धित निर्देश विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें, ताकि समस्त छात्र/छात्रायें निर्देशों का पालन कर सके।

भवदीय

(ललिता यादव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
झांसी ।

पृष्ठांकन संख्या व तद्दिनांक।–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1 निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी महोदय, झांसी।

3– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद झासी को इस अनुरोध के साथ कि अपनी तहसील में उक्त का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

4– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद झांसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने विकास खण्ड में उक्त का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
झांसी ।